फा. सं. 9-2/2019-पीडी-2 (ई366891)

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कमरा सं. 275,कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 3 अप्रैल, 2020

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें / प्रशासन

विषय : पीएम-जीकेएवाई के अंतर्गत टीडीपीएस प्रचालनों और खाद्यान्नों के वितरण हेतु नए कोरोनावायरस (कोविड-19) को फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले निवारक उपाय करने के संबंध में परामर्श-पत्र।

महोदय/महोदया,

इस विभाग की दिनांक 18.03.2020 के पूर्व परामर्श-पत्र के क्रम में, ईपीओएस उपकरणों और अन्य माध्यमों से उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों के वितरण सहित पीडीएस प्रचालनों द्वारा देशभर में नए कोरोनावायरस (कोविड-19) को फैलने से रोकने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित एहतियाती उपाय पुनः दोहराए जा रहे हैं।

2. एफपीएस डीलरों, लाभार्थियों, आदि सहित सभी संबंधित हितधारकों को सही प्रकार से शिक्षित किया जाना चाहिए जिससे सभी संभव एहतियाती उपाय करने और जमीनी स्तर पर किसी प्रकार की घबराहट की स्थिति पैदा होने से बचाव में उनका सहयोग सुनिश्चित हो सके। देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप को कम करने के लिए यहां पर सुझाए गए एहतियाती उपाय अस्थायी हैं

3. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस संबंध में अपने परामर्श-पत्र / आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। तथापि, उन्हें सभी आवश्यक उपाय करने का परामर्श दिया जाता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं :-

क. बिना दवा संक्रमण की रोकथाम और आपस में दूरी पर नियंत्रण रखने के लिए उचित दूरी (सोशल डिस्टेन्सिंग) का पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी व्यक्तियों (लाभार्थियों/ कार्मिकों/ स्टाफ/ कर्मचारियों आदि) के बीच लगभग एक मीटर की दूरी सदैव रखी जाए। उचित दर दुकानों पर प्रत्येक एक मीटर की दूरी पर जमीन पर निशान अंकित करके पंक्तियों को सुव्यवस्थित किया जाएगा।

ख. मुंह को ढकने के लिए सामान्य सर्जिकल मास्क/ रूमाल का उपयोग किया जा सकता है। समय-समय पर विभिन्न मीडिया में देखे गए विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों के साक्षात्कारों / सलाह के अनुसार नए कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए यह एक अच्छा उपाय है।

ग. प्रत्येक लाभार्थी को यह सलाह दी जाती है कि यह सही होगा यदि वे ईपीओएस उपकरणों पर बायोमेटि्क प्रमाणन करने से पूर्व अपने हाथों/ उंगलियों/ नाखूनों को साबुन या पानी से सही प्रकार से साफ/ सेनिटाइज़ कर लें। इस प्रयोजन के लिए अलकोहल आधारित हैंड सेनिटाइज़र्स का उपयोग भी किया जा सकता है।

घ. सभी एफपीएस डीलरों को भी यह परामर्श दिया जाता है कि ऊपर उल्लिखित के अनुसार, ईपीओएस उपकरणों का उपयोग करने के दौरान वे समय-समय पर अपने हाथों का नियमित सेनिटाइज़ेशन सुनिश्चित करें।

ङ. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सभी लाभार्थियों, एफपीएस डीलरों, स्टॉफ, मजदूरों आदि के उपयोग और हित के लिए सभी उचित दर दुकानों, गोदामों, आदि पर हैंड सेनिटाइज़र्स, साबुन और पानी की नियमित सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

च. उचित दर दुकानों/किसी एक स्थान पर लाभार्थियों/व्यक्तियों की भीड़/पंक्ति को कम करने के लिए खाद्यान्नों का वितरण अलग-अलग समय पर पूरा दिन किया जाए। इसके लिए, एफपीएस पर वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के वितरण के लिए दिनों की अवधि को माह में अधिकतम अवधि तक बढ़ा दिया जाए।

छ. माह के प्रत्येक दिवस पर एनफएसए और पीएम-जीकेएवाई खाद्यान्नों के वितरण के लिए उचित दर दुकानों का खुलना सुनिश्चित करना। एफपीएस डीलरों द्वारा पर एनफएसए और पीएम-जीकेएवाई, दोनों के लिए, दुकान के खोलने और बंद करने का समय, मात्रा, वस्तु, आदि के संबंध में लाभार्थियों को न्यूनतम अपेक्षित जानकारी तुरंत देने के लिए इसका प्रदर्शन कम से कम दो या तीन स्थानों पर किया जाए।

ज. पीएम-जीकेएवाई के अंतर्गत अगले तीन माह अर्थात अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा और निशुल्क वितरण के संबंध में एफपीएस डीलरों, लाभार्थियों और अन्य हितधारकों के बीच तत्काल जागरूकता पैदा करना।

झ. भविष्य के संदर्भ और निपटान के लिए प्रत्येक माह अन्नवितरण पोर्टल और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पोर्टल दोनों पर एनफएसए और पीएम-जीकेएवाई के अंतर्गत खाद्यान्नों के वितरण के संबंध में ईपीओएस के माध्यम में लेनदेन की अलग-अलग व्यवस्था रखना।